रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 262] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 1999/अग्रहायण 5, 1921
No. 262] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 1999/AGRAHAYANA 5, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 40 (आर. ई. 99)/1997—2002

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1999

फा० सं० 01/92/162/6/एएम 00/पीसी-2.— का० आ० 283(अ), दिनांक 31-3-1997 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड-3, उप-खण्ड-2 में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 4.11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर.ई. 99), 1997—2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

1. पैराग्राफ 4.19, उप पैराग्राफ 3 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा -
"डुप्लीकेटिंग लाइसेंस की वैधता अवधि मूल लाइसेंस के साथ समाप्त होगी इसलिए मूल लाइसेंस की वैधता समाप्त होने पर किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । तथापि डी ई पी बी अथवा अग्रिम लाइसेंस जिसका स्थानान्तरण पृष्ठांकित किया गया हो, के डी जी एफ टी/सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुम हो जाने की स्थिति में जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित भी किया गया हो, डुप्लीकेट डी ई पी बी/अग्रिम लाइसेंस को जारी करते समय उसे डुप्लीकेट डी ई पी बी/ लाइसेंस को जारी करने की तारीख से 6 महीनों की अवधि के लिए पुनः वैध किया जाएगा । ऐसे मामलों में प्राथिमिकी (एफ आई आर) की प्रति प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया जाएगा " ।

2. परिशिष्ट 40 के पैराग्राफ "एजेंसियों/निधियों...........लाभों" को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा -

"मान्य निर्यात लाभों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 2 (एफ टी)/डी ई ए/99, दिनांक 14.10.99 और सार्वजनिक सूचना संख्या 3(एफ टी) डी ई ए, दिनांक 17.10.94 के द्वारा यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 5(एफ टी)/डी ई ए, दिनांक 13.11.95 के साथ पठित सार्वजनिक सूचना संख्या 1(एफ टी)/ डी ई ए, दिनांक 23.6.94 के अधीन भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित एजेंसियां/निधियां"।

3. परिशिष्ट 40 की क्रम संख्या 1 को संशोधित करके नियमानुसार पढ़ा जाएगा -

"अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई बी आर डी) और अंतरराष्ट्रीय विकास परिसंघ (आई डी ए)"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

एन०एल० लखनपाल, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 40 (RE 99)/1997—2002

New Delhi, the 26th November, 1999

F. No. 01/92/162/6/AM 00/PC-II.—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-1997, the Director General of Foreign Trade hereby makes following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1) (RE-99), 1997—2002 :

1. Paragraph 4.19, sub-paragraph 3 shall be amended to read as follows:-

"The validity of duplicate licence shall be co-terminus with the original licence and, therefore, no request shall be entertained, if the validity of the original licence has expired. However, in case DEPB or an Advance License endorsed with transferability has been lost in the custody of DGFT/Customs authorities and it is so certified by the concerned authority, in that case while issuing a duplicate DEPB/Advance License, it shall be revalidated for a period of six months from the date of issuance of duplicate DEPB/licence. In such cases, a copy of FIR

2. Paragraph "Agencies/Funds……. Benefits"of Appendix 40 may be amended to read as follows:-

"Agencies/Funds notified by the Government of India, Deptt. of Economic Affairs vide their Public Notice No. 1(FT)/DEA dated, 23.6.94 read with Public Notice No. 5(FT)/DEA dated 13th November, 1995 as amended by Public Notice No. 2(FT)/DEA/99 dated 14th October, 1999 and Public Notice No. 3(FT)/DEA dated 17.10.94 for the purpose of Deemed Export benefits:-"

3. Sl. No. 1 of Appendix 40 may be amended to read as follows:-

"International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and International Development Association(IDA)."

This issues in public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.